Avadi, the 6th September, 1993

S.O. 1988.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 4 of the Departmental Inquiries (Enforcement of Aattendance of Witnesses and Production of Documents) Act 1972, (18 of 1972), I, the General Manager, HVF hereby specify Shri K. R. Mahaboob John, Dy. General Manager, HVF, Avadi as an authority to exercise the power conferred on the undersigned by sub-section (1) of Section 4 of the said Act in respect of Shri K. Unnikumaran, T. No. 74296/1021, Highly Skilled HVF, Avadi against whom a Departmental Inquiry may be held.

[No. ESTT/VIG/86/60 (b)]

V. N. PATTABIRAMAN, General Manager

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 3-सितम्बर, 1993

का. आ. 1939.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कच्चा मांस (द्रुतशीतित/हिमशीतित) का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1992 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कच्चा मांस (द्रुतशीतित/हिमशीतित) का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) (संशोधन) नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कच्चा मांस (द्रुतशीतित/हिमशीतित) का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1992 में,

(क) नियम 3-5-26, के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3-5-26 महिला और पुरुष कर्मकारों तथा कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में शौचालयों और वाशबेसिन का प्रबंध किया जाएगा। ये प्रसंस्करण हॉलों से अलग स्थित होंगे और उनके दैनिक निर्धूपण के लिए इंतजाम किए जाएंगे। शौचालयों का मुख्य द्वार मक्खी अभेद्य और स्वतः बंद होने वाले दरवाजों सहित जालीदार होगा। यथोचित परिवर्तनशील कक्ष सुविधाओं का भी प्रबंध किया जाएगा।,

(ख) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7. निरीक्षण फीस—निर्यातकर्ता/प्रसंस्करणकर्ता अभिकरण को निम्नानुसार निरीक्षण फीस देगा :

(1) शव के रूप में अस्थि सहित भेड़ और बकरे के मांस (ताजा, द्रुतशीतित/ या हिमशीतित) के निर्यात के लिए प्रति परेषण न्यूनतम 50 रुपए के अधीन रहते हुए प्रति शव 1.00 रु. की दर से फीस।

(2) अस्थि सहित भैंस के मांस (ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित) के निर्यात के लिए प्रति परेषण न्यूनतम 50 रुपए के अधीन रहते हुए प्रति चौथाई 2.00 रुपया की दर से फीस।

(3) अस्थि रहित ताजे, द्रुतशीतित या हिमशीतित भैंस या भेड़ या बकरा मांस के डिब्बों में निर्यात के लिए प्रति परेषण न्यूनतम 100 रुपए के अधीन रहते हुए प्रति डिब्बा 1 रुपए 25 पैसे की दर से फीस।

टिप्पण—प्रत्येक परेषण के लिए निर्यातकर्ता/प्रसंस्करणकर्ता द्वारा संदेय निरीक्षण फीस की रकम निकटतम रुपए तक पूर्णांकित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी रकम में रुपए का भाग पैसे हों, वहां यदि ऐसा भाग पचास पैसे या अधिक हो तो उसे बढ़ाकर रुपया कर दिया जाएगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जाएगा"।

[फा. सं. 6/1/92-ई आ ई एण्ड ई पी]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

टिप्पण—मूल नियम अधिसूचना सं. का. आ. 204, तारीख 30-1-93 द्वारा प्रकाशित किए गए हैं।

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 3rd September, 1993

S.O. 1989.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Raw Meat (Chilled/Frozen) (Quality Control and Inspection) Rules, 1992, namely:—

1. (1) These rules may be called the Export of Raw Meat (Chilled/Frozen) (Quality Control and Inspection) (amendment) Rules, 1993.

(2) They shall come come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Export of Raw Meat (Chilled/Frozen) (Quailty Control and Inspection) Rules, 1992,

(a) for rule 3.5.26, the following rule shall be substituted, namely:—

"3.5.26 sufficient number of lavatories and wash basins shall be provided for each sex of workers and employees. These shall be situated away from the processing halls and arrangements shall be made for their daily disinfestation. The main door to the lavatories shall be fly proof and netted with self-closing doors. Adequate changing room facilities shall also be provided.";

(b) for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:—

"7. Inspection fee—Inspection fee shall be paid by the exporter/processor to the Agency as under:

(i) For export of bone-in sheep and goat meat (fresh, chilled or frozen) in carcass form, a fee at the rate of Rupee 1.00 per carcass subject to a minimum of Rupees 50 per consignment.

IndiaCode

(ii) For export of bone-in buIalo meat (fresh, chilled or frozen) a fee at the rate of Rupees 2.00 per quarter subject to a minimum of Rupees 50 per consignment.

(iii) For export of boneless fresh, chilled or frozen buffalo or sheep or goat meat in cartons, a fee at the rate of Rupees 1.25 per carton subject to a minimum of Rupees 100 per consignment.

Note : The amount of inspection fee for each consignment payable by the exporter/processor shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose where such amount contains a part of rupee, then if such a part is fifty paise or more it shall be increased to one rupee and if such part is less than fifty paise, it shall be ignored".

[F. No. 6/1/92-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

Note : The principal rules are published vide Notification No. S.O. 204 dated, 30-1-93.

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1993

का.आ. 1990.—केन्द्रीय सरकार ने निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स इन्सपेक्शन सर्वे एण्ड सर्विलैंस (इंडिया) प्रा. लिमिटेड, 26/27, एराबालू चैटी स्ट्रीट, मद्रास-600001 को भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1498 तारीख 13 मई, 1991 के अनुसार इससे उपाबद्ध अनुसूची I तथा II में विनिर्दिष्ट खनिज तथा अयस्क (ग्रुप I तथा II) का मद्रास में निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए अभिकरण के रूप में मान्यता दी है;

और मैसर्स इन्सपेक्शन सर्वे एण्ड सर्विलैंस (इंडिया) प्रा. लिमिटेड, कलकत्ता ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि उनकी मद्रास शाखा ने अगस्त, 1992 से कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स इनसपेक्शन सर्वे एण्ड सर्विलैंस (इंडिया) प्रा. लिमिटेड, 26/27, एराबालू चैटी, मद्रास-600001 को दी गयी मान्यता वापस लेती है तथा भारत सरकार वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1498 तारीख 13 मई, 1991 को विखण्डित करती है।

[फा. सं. 5(1)/88—ई आई एण्ड ई पी]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 10th September, 1993

S.O. 1990.—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), had recognised M/s. Inspection Survey and Surveillance (India) Private Limited, 26/27, Errabalu Chetty Street, Madras-600001, as an agency for inspection of Minerals and Ores (Group-I and II), as specified in Schedule I and Schedule II annexed thereto, prior to export at Madras vide notification of the Government of India, in the Ministry of Commerce, No. S.O. 1498 dated the 13th May, 1991;

And whereas it has been confirmed by M/s. Inspection Survey and Surveillance (India) Private Limited, Calcutta that their Madras branch has ceased to exist with effect from August, 1992;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby withdraws the recognition granted to M/s. Inspection Survey and Surveillance (India) Pvt. Limited, 26/27, Errabalu Chetty Street, Madras-600001 and rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 1498 dated the 13th May, 1991.

[File No. 5(1)/88-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

आदेश

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1993

का.आ. 1991.—मैसर्स एसियन लेदर (प्रा.) लिमिटेड, कलकत्ता को ई पी सी जी स्कीम के अन्तर्गत संलग्न सूची के अनुसार पूंजीगत माल के आयात के लिये 8,13,594/- रुपये (आठ लाख तेरह हजार, पांच सौ चौरानवे) का एक आयात लाइसेंस सं. पी./सी जी/2101168 दिनांक 9-11-92 प्रदान किया गया था।

2. फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस की विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि इस आधार पर जारी करने के लिये आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है या गुम हो गई है। आगे यह भी कहा गया है कि लाइसेंस की मूल विनिमय नियंत्रण प्रति को सीमाशुल्क सदन, कलकत्ता से पंजीकृत कराया गया था और उसका रु. 5,17,935/- की राशि के लिये उपयोग किया गया है और शेष रु. 2,95,659/- की राशि का उपयोग नहीं हुआ है।

3. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक, कलकत्ता के समक्ष विधिवत शपथ लेकर स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामा दाखिल किया है। तदनुसार मैं सन्तुष्ट हूं कि फर्म से आयात लाइसेंस सं. पी./सीजी/2101168, दिनांक 9-11-1992 की मूल विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है या गुम हो गई है। यथा-संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उपधारा 9(गग) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स एसियन लेदर (प्रा.) लि. कलकत्ता को जारी की गई उक्त मूल विनिमय नियंत्रण प्रति सं. पी/सी जी/2101168 दिनांक 9-11-92 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

4. पार्टी को उक्त लाइसेंस की विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि अलग से जारी की जा रही है।

[फा.सं. 18/1091/ईपीसीजी-2/93/270]

माया देवी केम, उप महानिदेशक